निगरानी/टी.ए./698/2014/जयपुर
महेन्द्र सिंह बनाम सरोज देवी

W/R.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री आर.के.पारीक़, सदस्य

उपस्थित–
श्रीमती ज्योति पारीक व श्री विजय सोनी, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी सं.1 व 2 के अभि0के ब्रीफ होल्डर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
श्री थानेश्वर शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 6
अप्रार्थी संख्या 5 व 7 अनुपस्थित
प्रार्थी संख्या 21 का नाम तर्क किया गया

Worth Reportable

निर्णय दिनांक 3.6.2014

आदेश

3-6-2014.

यह निगरानी सहायक कलक्टर कोटपुतली द्वारा पारित निर्णय दि0 20–1–2014 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर कोटपुतली के न्यायालय में आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली द्वारा वाद संख्या 25/78 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3–10–1988 की इजराय करने का निवेदन किया। जिसे सहायक कलक्टर कोटपुतली ने अपने आदेश दिनांक 12–11–2013 के द्वारा स्वीकार कर लिया। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन/उज्रात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। जिन पर बहस सुनकर सहायक कलक्टर कोटपुतली ने अपने निर्णय दिनांक 20–1–2014 के द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इजराय आदेश दिनांक 12–11–2013 को निरस्त करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन निर्णय दिनांक 20–1–2014 रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने तथा विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 3–10–1988 में पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में वे नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। अधिनियम की धारा 229 के तहत नजरसानी प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण के पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति उनके द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं थे किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर गौर किये बिना निगरानीधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के